

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 145/2017 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17. 11/12/17.

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में

02.

टिप्पणी

तारीख-सहित

3

29.12.2017

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत खगड़िया थाना में दर्ज कांड संख्या-658/2017 दिनांक 23.09.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4427/हि०शा० दिनांक 21.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल-180 एम०एल० का 184 फुटीनुमा पाउच एवं 375 एम०एल० का 17 बोतल विदेशी शराब कुल मात्रा में से 375 एम०एल० का 03 बोतल एवं 180 एम०एल० का 05 पाउच माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु रसायण-परीक्षक बिहार पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष-375 एम०एल० का 14 बोतल एवं 180 एम०एल० का 179 पाउच विदेशी शराब खगड़िया थाने के मालखाना में रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगड़िया थाने के मालखाना में रखी गई कुल-375 एम०एल० का 14 बोतल एवं 180 एम०एल० का 179 पाउच कुल-37.470 लीटर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए खगड़िया थाना कांड संख्या-658/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-37.470 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।



इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
	<p>डी० बी० नं०.....510...../विधि, दिनांक 30/12/2017</p> <p>प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष खगड़िया /अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;">  प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।  </p>	